संसद के समक्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण, 2012

माननीय सदस्यगण,

मैं इस सत्र में आपका स्वागत करती हूं। मेरी सरकार ने अपना आधा कार्यकाल पूरा कर लिया है। आशा है, यह सत्र सफल और उपयोगी रहेगा।

2. यह वर्ष विश्व अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किलों भरा रहा है। आर्थिक अनिश्चितताओं का पूरे विश्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में राजनीतिक अनिश्चितता व अस्थिरता बढ़ी है और जिस परिवेश में हम कार्य कर रहे हैं वह पिछले एक वर्ष में अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। वर्ष 2010–11 में हमारी अर्थव्यवस्था 8.4 फीसदी की आकर्षक दर से बढ़ी, लेकिन इस वर्ष यह घटकर लगभग 7 फीसदी हो गई है। विश्व की मौजूदा प्रवृत्तियों को देखते हुए यह विकास दर अच्छी है।

3. भारतीय अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक मूलतत्त्व स्वस्थ बने हुए हैं। भारत की विकास संभावनाएं उच्च घरेलू बचत एवं निवेश दर, अनुकूल जनसांख्यिकी और स्थिर लोकतांत्रिक व्यवस्था जैसे कारकों द्वारा प्रेरित हैं। मेरी सरकार को विश्वास है कि वह शीघ्र ही देश के आर्थिक विकास को पुन: 8 से 9 फीसदी की उच्च दर पर वापस ले आएगी।

4. मेरी सरकार ईमानदार तथा अधिक कारगर शासन व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार ने इस दिशा में और कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। संसद में कई महत्त्वपूर्ण और अभूतपूर्व विधेयक पेश किए गए हैं। इनमें लोकहित प्रकटन और प्रकटन करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण विधेयक (The Public Interest Disclosure and Protection of Persons Making the Disclosure Bill), विदेशी लोक पदाधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय लोक संगठनों के पदाधिकारियों की रिश्वत संबंधी भ्रष्टाचार निवारण विधेयक (The Prevention of Bribery of Foreign Public Officials and Officials of

Public International Organisations Bill), नागरिक शिकायत निवारण अधिकार विधेयक (Citizens Right to Grievance Redress Bill), न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक (The Judicial Standards and Accountability Bill) तथा लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक (The Lokpal and Lokayuktas Bill) शामिल हैं। भारत ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघ कन्वेन्शन का भी अनुसमर्थन किया है। ये सभी भ्रष्टाचार को रोकने में रूपांतरकारी परिवर्तन कराने एवं शासनतंत्र में पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ाने में सक्षम होंगे। सार्वजनिक खरीद संबंधित एक व्यापक कानून तैयार किया जा रहा है। न्याय प्रदान करने और कानूनी सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन पहले ही किया जा चुका है।

5. सरकार काले धन की समस्या से निपटने के लिए विविध मोर्चों पर कार्रवाई प्रारम्भ कर चुकी है। इस क्रम में बेनामी संव्यवहार (निषेध) अधिनियम (Benami Transactions (Prohibition) Act) बन चुका है और धन-शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act) में संशोधन किया गया है। साथ ही देश में काले धन को पनपने से रोकने के लिए मजबूत कानून बनाने के उपायों पर विचार करने के लिए एक विशेष समिति बनाई गई है। देश में और देश से बाहर मौजूद काले धन का आकलन करने के लिए कई स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा अध्ययन कराया जा रहा है। प्रस्तावित प्रत्यक्ष कर संहिता के अंतर्गत द जनरल एंटीअवाइडेंस रूल्स और कन्ट्रोल्ड फॉरेन कंपनी रूल्स तैयार किए जा रहे हैं। माल और सेवा कर पर राजनीतिक सहमति कायम करने के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे अप्रत्यक्ष करों को तर्कसंगत बनाकर तथा पूर्ण निवेश क्रेडिट उपलब्ध कराकर अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की जा सकेगी।

6. हम देश में अवैध निधियों के सृजन और उनके देश से बाहर जाने को रोकने के लिए कई कदम उठा रहे हैं तथा विदेशों से काले धन संबंधी व्यापक सूचना प्राप्त करने के लिए चैनल स्थापित कर रहे हैं। इनमें विदेशों में नई आयकर यूनिटें शुरू करना, नए दोहरे कराधान निवारण करारों और नवीन कर सूचना विनिमय करारों पर

हस्ताक्षर करना तथा अंतरण मूल्य निर्धारण और अंतरराष्ट्रीय कराधान उपबंधों को बेहतर ढंग से लागू करना शामिल है।

7. सार्वजनिक सेवाएं दक्ष एवं स्वचालित तरीके से प्रदान करना, जिसमें मानवीय दखल कम से कम हो, भ्रष्टाचार को कम करने के महत्त्वपूर्ण साधनों में से एक है। राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर में 97,000 जनसुविधा केन्द्र स्थापित किए गए हैं ताकि नागरिकों को सार्वजनिक सेवाएं सुविधापूर्ण तरीके से प्राप्त हो सकें। आयकर, पासपोर्ट, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा कारपोरेट कार्य विभागों ने ऑन-लाइन सेवाएं प्रदान करना प्रारंभ कर दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक वितरण और डाक सेवाओं में भी जल्दी ही नए ई-गवर्नेन्स प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। संसद में इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज़ डिलीविरी बिल पेश किया जा चुका है। सभी ई-गवर्नेन्स प्रोजेक्टों के अधीन जनसेवाएं अधिकाधिक इंटरनेट और मोबाइल फोन के माध्यम से दी जाएंगी।

8. मेरी सरकार ने देश के लाखों वंचित लोगों तक पहुंचने के लिए 'आधार' नामक अनूठी योजना शुरू की है जो सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों की उपलब्धता, जवाबदेही और पारदर्शिता में सुधार लाने में सहायक सिद्ध होगी और जिससे लोगों की वित्तीय समावेशिता बढ़ेगी।

9. वर्ष 2012-13, 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष होगा। इसका लक्ष्य है 'त्वरित, वहनीय और समावेशी विकास'। 12वीं योजना के एप्रोच पेपर में 9 फीसदी विकास दर और 4 फीसदी कृषि विकास दर का लक्ष्य है।

10. आज देश के समक्ष 5 प्रमुख चुनौतियां हैं जिन पर मेरी सरकार काम करेगी—

- आबादी के एक बड़े हिस्से को आजीविका सुरक्षा प्रदान करने हेतु सतत् प्रयास करना तथा देश से गरीबी, भूख और निरक्षरता समाप्त करने के लिए कार्यरत रहना;
- त्वरित एवं व्यापक विकास तथा जनता के लिए आजीविका आधारित कार्यों का सृजन करते हुए आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करना;

- त्वरित विकास के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना;
- पारिस्थितिकीय और पर्यावरण सुरक्षा को जोखिम में डाले बिना विकास लक्ष्य प्राप्त करना; तथा
- न्यायसंगत, बहुलवादी, पंथनिरपेक्ष तथा समावेशी लोकतंत्र के दायरे में देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा सुनिश्चित करना।

11. सभी नागरिकों को शिक्षा एवं कौशल विकास के अवसर प्रदान करके उन्हें समर्थ बनाते हुए आजीविका सुरक्षा के लक्ष्य को त्वरित एवं समावेशी विकास की प्रक्रिया से ही बेहतर प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा के अधिकार के सुदृढ़ आधार पर कौशल प्रशिक्षण को शिक्षा के सभी स्तरों पर जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त योग्यता पद्धति के विकास हेतु समान सिद्धांत और दिशानिर्देश तय करने के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता व्यवस्था कायम की जा रही है।

12. मेरी सरकार का लक्ष्य वर्ष 2012-13 में 85 लाख लोगों को और 12वीं योजना में कुल 800 लाख लोगों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। देश में पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी के तहत, सरकार 13 हजार करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 1500 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और 5 हजार कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना करेगी।

13. उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान विधेयक संसद में पेश किया जा चुका है। भविष्य के लिए कार्य-योजना तैयार करने हेतु राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग का गठन भी किया जा रहा है।

14. अध्यापक शैक्षिक व्यवस्था के केन्द्र-बिन्दु हैं। मेरी सरकार अध्यापक शिक्षण एवं फैकल्टी विकास के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत करेगी।

15. समस्त छात्रों को, उनकी अदायगी क्षमता पर विचार किए बिना उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार उच्च शिक्षा ऋण गारंटी प्राधिकरण का गठन

करेगी, जो कि शैक्षिक ऋणों का जोखिम संग्रहण (Risk Pooling) करते हुए सीमित ऋण गारंटी की व्यवस्था करेगा।

16. कमजोर वर्गों के सशक्तीकरण में शिक्षा के महत्त्व को समझते हुए मेरी सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति में वृद्धि करने के बाद, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को मैट्रिक के बाद मिलने वाली छात्रवृत्ति की दरें हाल ही में बढ़ाई हैं। पिछले एक वर्ष के दौरान, अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के डेढ़ करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और फैलोशिप प्रदान की गई है।

17. पढ़ने-लिखने, काम-काज करने और एक बेहतर एवं संतोषपूर्ण जीवनयापन के लिए स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। हमारे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रभाव दिखने लगा है एवं स्वास्थ्य सूचकांकों में भी प्रतिबिम्बित हो रहा है। शिशु मृत्यु-दर, जो वर्ष 2005 में 58 प्रति हजार जन्म थी, वर्ष 2010 में घटकर 47 प्रति हजार रह गई। मातृ मृत्यु-दर वर्ष 2004-06 में 254 प्रति लाख प्रसव से घटकर वर्ष 2007-09 में 212 प्रति लाख प्रसव हो गई है। जननी सुरक्षा योजना के तहत वर्ष 2010-2011 के दौरान 1 करोड़ 13 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचाया गया जो एक सराहनीय उपलब्धि है। देश से पोलियो लगभग खत्म किया जा चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को वाइल्ड पोलियो वायरस से आक्रांत देशों की सूची से हटाने का निर्णय लिया है।

18. पिछले 7 वर्ष के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार बढ़ते निवेश के बावजूद स्वास्थ्य मद पर सरकारी खर्च अभी भी कम है। सभी लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेरी सरकार 12वीं योजना के अंत तक केन्द्र व राज्यों के कुल योजनागत व गैर-योजनागत व्यय को बढ़ाकर जीडीपी के 2.5 फीसदी तक ले जाने का प्रयास करेगी। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं के माध्यम से सभी लोगों को नि:शुल्क जेनेरिक आवश्यक दवाइयां चरणबद्ध और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाएगा। 12वीं योजना के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में बदलकर इसे शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया

जाएगा। मेरी सरकार ने कैंसर, मधुमेह, हृदयरोग एवं स्ट्रोक निवारण व नियंत्रण कार्यक्रम और वृद्धों की स्वास्थ्य परिचर्या हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। हम उन्नत स्तर की द्वितीयक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला अस्पतालों को सुदृढ़ करेंगे। मेरी सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए भी कार्य कर रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, एमबीबीएस की सीटों में 26 फीसदी और पोस्ट ग्रेजुएट सीटों में 62 फीसदी वृद्धि हुई है।

19. भारत की महान विरासत को आधार बनाते हुए आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) को एलोपैथिक स्वास्थ्य व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और जिला अस्पतालों में आयुष सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता दी जा रही है।

20. अत्यंत लोकप्रिय राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लगभग 2 करोड़ 64 लाख परिवारों को स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इस योजना का विस्तार किया जाएगा। उम्मीद है कि 12वीं योजना की समाप्ति तक, इस योजना के अंतर्गत करीब 7 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

21. कुपोषण, बच्चों को गंभीर रूप से प्रभावित करता रहा है जिससे उनके शिक्षा प्राप्त करने और वहनीय आजीविका अर्जित करने के अवसरों पर भी असर पड़ता है। मेरी सरकार 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समेकित बाल विकास सेवाओं (आई सी डी एस) को पुनर्व्यवस्थित व सुदृढ़ करेगी। मातृ-शिशु पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समस्या-प्रभावित 200 जिलों में आई सी डी एस के अलावा, मल्टी-सेक्टोरल पोषण कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा।

22. मेरी सरकार समाज के कमजोर व असुरक्षित तबकों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार में लगाने से रोकने के लिए बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम में महत्त्वपूर्ण संशोधन करेंगे। बच्चों की जगह स्कूल में है, कामकाज की जगहों पर नहीं।

23. रेहड़ी-पटरी पर सामान बेचकर जीविका अर्जित करने वाले लाखों व्यक्तियों के हितों की सुरक्षा करने तथा उनके विकास के लिए सरकार नया कानून बनाने पर कार्य कर रही है।

24. मेरी सरकार सिर पर मैला ढोने की प्रथा खत्म करने और अस्वच्छ शौचालयों को समाप्त करने के लिए संसद में नया विधेयक पेश करेगी। इसमें सिर पर मैला ढोने वालों के लिए वैकल्पिक व्यवसायों में अवसर प्रदान करते हुए उपयुक्त पुनर्वास का भी प्रावधान होगा ताकि वे सम्मानजनक जीवनयापन कर सकें।

25. नि:शक्तता प्रभावित लोगों की समस्याओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए एक पृथक नि:शक्तता कार्य विभाग बनाया जाना प्रस्तावित है। सरकार नि:शक्त लोगों के लिए मौजूदा कानून के स्थान पर नया कानून बनाने पर भी विचार कर रही है।

26. मेरी सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन कर रही है जो हमारी आबादी के इस महत्त्वपूर्ण वर्ग के लिए एक व्यापक भागीदारी आधारित फोरम के तौर पर कार्य करेगी।

27. लाभ-वंचित वन निवासियों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन्य अधिकारों की पहचान) अधिनियम के तहत 12.46 लाख से भी अधिक पट्टे वितरित किए गए हैं। गौण वन्य उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना शुरू करने पर विचार किया जा रहा है।

28. मेरी सरकार प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के लाभों को समेकित करेगी जिसके तहत सरकार की चिह्नित स्कीमों के 15 प्रतिशत लक्ष्य और परिव्यय को अल्पसंख्यक समुदायों के लाभ-वंचित वर्गों के लिए निर्धारित किया गया है। अल्पसंख्यक संकेंद्रित जिलों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम से अल्पसंख्यक संकेंद्रित 90 जिलों में सामाजिक-आर्थिक ढांचे में 3500 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने में सफलता मिली है। वर्ष के दौरान, इस कार्यक्रम को और अधिक कारगर बनाया जाएगा और इसके दायरे को भी बढ़ाया जाएगा।

29. वर्ष 2011–12 में सरकारी क्षेत्रों के बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के तहत अल्पसंख्यक समुदायों को दिए जाने वाले अदत्त ऋण बढ़कर 14.5 प्रतिशत हो गए हैं। मेरी सरकार, वर्ष 2012–13 में 15 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास करेगी।

30. अल्पसंख्यकों का सशक्तीकरण सुनिश्चित करने के लिए, मेरी सरकार ने हाल ही में अल्पसंख्यक वर्ग के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित कोटे में से 4.5 प्रतिशत का उप–कोटा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है जो अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नियत 27 प्रतिशत आरक्षण कोटे के अंतर्गत दिया जाएगा।

31. मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी सरकार द्वारा कृषि पर लगातार जोर देने के अच्छे परिणाम मिले हैं। कृषि क्षेत्र में वर्ष 2010–11 में 6.6 फीसदी की वृद्धि हुई है, जो हाल के समय में हुई वृद्धि की उच्चतम दर है। वर्ष 2010–11 के दौरान देश में 24.156 करोड़ टन खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन हुआ। हमने 231 मिलियन टन फल और सब्जियों का, 18 मिलियन टन दालों का, 31.1 मिलियन टन तिलहन का और कपास की 33.42 मिलियन गांठों का रिकार्ड उत्पादन किया है। मेरी सरकार ने अपने प्रमुख कार्यक्रमों, जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय बागवानी मिशन के जरिए कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहित किया है। मेरी सरकार ने पिछले सात वर्षों से प्रचलित किसान हितैषी मूल्य समर्थन नीति को जारी रखा है। वर्ष 2011–12 के दौरान, चुनिंदा कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में पिछले वर्ष की तुलना में 10 से 40 प्रतिशत तक वृद्धि की गई।

32. 2010–11 के दौरान 4 लाख 60 हजार करोड़ रुपए का कृषि ऋण दिया गया, जो लक्ष्य से 22 फीसदी अधिक है। मुझे विश्वास है कि 2011–12 का 4 लाख 75 हजार करोड़ रुपए का लक्ष्य भी हासिल कर लिया जाएगा। छोटे किसानों को 3 लाख रुपए तक के फसल ऋण 7 प्रतिशत की दर पर उपलब्ध कराने के लिए ब्याज में छूट (interest subvention) स्कीम लागू की गई। जो किसान अपने अल्पावधि फसल ऋण समय पर चुकाते हैं उन्हें ब्याज में 3 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की

जा रही है जिससे प्रभावी ब्याज दर घटकर 4 प्रतिशत ही रह जाएगी।

33. मेरी सरकार सिंचाई की सृजित क्षमता और प्रयुक्त क्षमता के बीच करीब 10 मिलियन हैक्टेयर के अंतर को कम करने के उपाय करेगी। इसके लिए कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को सुदृढ़ किया जाएगा और उसे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय जल मिशन को कार्यान्वित किया जाएगा जिसका उद्देश्य अगले पांच वर्षों में जल-उपयोग दक्षता में 20 प्रतिशत सुधार करना है। मेरी सरकार वर्षा सिंचित और शुष्क भूमि क्षेत्रों की कृषि उत्पादन क्षमता को प्राप्त करने का प्रयास करेगी। ऐसा, सभी संबंधित पक्षों की स्वस्थ भागीदारी सुनिश्चित करके और सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों में तालमेल कायम करके किया जाएगा।

34. वर्ष के दौरान, आवश्यकता के अनुसार अनुदानित उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। उर्वरक मंत्रालय ऐसी व्यापक उर्वरक निगरानी व्यवस्था पर काम कर रहा है, जिसके जरिए किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता की सूचना एस.एम.एस., इंटरनेट और टेलीफोन पर दी जाएगी। मेरी सरकार ने फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन की 8 यूरिया यूनिटों को दोबारा शुरू करने का फैसला किया है, ताकि 9 मिलियन टन यूरिया की अतिरिक्त संस्थापित क्षमता सृजित की जा सके। हमारा लक्ष्य अगले 5 साल में यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना है।

35. जैसा कि जून, 2009 में मैंने संसद में अपने अभिभाषण में ऐलान किया था, मेरी सरकार ने लोक सभा के पिछले शीतकालीन सत्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक पेश कर दिया है। इससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रावधान उपलब्ध होगा। साथ ही साथ मेरी सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूरी तरह कंप्यूटरीकृत करने की दिशा में राज्य सरकारों से मिलकर कार्य कर रही है।

36. मेरी सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MNREGA) के कार्यान्वयन में और अधिक पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही लाने की पूरी कोशिश करती रहेगी। इस योजना के प्रारंभ से अब तक लगभग 11 सौ

करोड़ श्रम-दिवसों के रोजगार का सृजन किया गया है और इस योजना पर लगभग 1 लाख 48 हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस योजना का अब तक 25 करोड़ लोगों को फायदा मिला है। इस योजना के दिशानिर्देशों में, यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधन किए गए हैं कि इसे भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य के और अधिक अनुरूप बनाया जा सके।

37. मेरी सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू किया है, जिससे गरीब ग्रामीण परिवारों को रोजगार के सतत् अवसर उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

38. मेरी सरकार, समावेशी विकास नीति पर जोर देते हुए, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन विधेयक (Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill) को जल्द अधिनियमित करने के लिए प्रयासरत रहेगी। इस विधेयक में न केवल भू-स्वामी किसानों को बल्कि आजीविका के लिए ऐसी भूमि पर आश्रित लोगों को भी अनिवार्य पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन पैकेज सहित उदारतापूर्वक मुआवजा देने का भी प्रावधान है।

39. मेरी सरकार ने वर्ष 2004 में ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत सुविधाओं में सुधार करने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी भारत निर्माण कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का दूसरा चरण 2009 में शुरू हुआ। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन करने, 1 लाख गांवों और 1 करोड़ 75 लाख गरीब परिवारों को बिजली देने और मौजूदा 1 लाख 94 हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का सुधार करने और सभी चिह्नित घरों तक पीने का साफ-पानी पहुंचाने का लक्ष्य, 31 मार्च, 2012 की नियत तारीख से पहले ही पूरा किया जा चुका है।

40. शहरी क्षेत्रों में आजीविका सुनिश्चित करने के लिए, मेरी सरकार जल्द ही राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन शुरू करेगी जो व्यापक स्तर पर कारीगरों के कौशल का उन्नयन, उद्यमिता का विकास एवं रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने का कार्य करेगा।

41. मेरी सरकार, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी विकास मिशन के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर इस कार्यक्रम का अगला चरण शुरू करेगी। अब मिशन में महानगरों या बड़े नगरों की जगह प्रथम श्रेणी और मध्यम नगरों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

42. धारणीय और पर्यावरण अनुकूल शहरी यातायात-व्यवस्था उपलब्ध करवाने के अपने निरन्तर प्रयासों की शृंखला में, मेरी सरकार इस वर्ष दिल्ली मेट्रो का तीसरा फेज शुरू करेगी और बेंगलूरू, हैदराबाद, कोलकाता एवं चेन्नई में मेट्रो परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन को आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। मेरी सरकार ने 20 लाख से ज्यादा आबादी वाले सभी शहरों के लिए मेट्रो रेल परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने में मदद करने का भी निर्णय लिया है।

43. मेरी सरकार का समान नियामक व्यवस्था बनाने के लिए एक ऐसा विधेयक लाने का प्रस्ताव है जिसमें उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने, विवादों का जल्दी निपटारा करने और रीयल एस्टेट क्षेत्र के व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने का प्रावधान किया जाएगा।

44. मेरी सरकार शहरों में रहने वाले बेघर और बेसहारा लोगों की आवश्यकताएं पूरा करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी है कि हम एक नया ''शहरी बेघर लोगों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम'' शुरू कर रहे हैं। इसके अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों में मिश्रित आश्रय स्थलों का ऐसा नेटवर्क तैयार करने में मदद मिलेगी जिनमें बेसहारा लोगों के रहने और खाने का पर्याप्त इंतजाम होगा।

45. पर्यटन उद्योग में रोजगार पैदा करने की अपार संभावनाएं हैं। मेरी सरकार का लक्ष्य 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस क्षेत्र में हर साल 12 फीसदी की वृद्धि करना होगा। वर्ष 2012-13 में लगभग 50 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वर्ष 2011-12 में लगभग 63 लाख विदेशी पर्यटक भारत आए, जो पिछले वर्ष से 9 प्रतिशत अधिक हैं।

46. मेरी सरकार ने, संपूर्ण एनालॉग केबल टेलीविजन सिस्टम को दिसम्बर,

2014 तक डिजीटल सेवा में बदलने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किया है। इससे सिस्टम और अधिक साम्यिक एवं पारदर्शी बनेगा और सुलभ लागत पर बेहतर दृश्यता सुविधा प्राप्त होगी।

47. छोटे नगरों और दूरदराज के इलाकों में रह रहे लाखों लोगों तक एफ एम रेडियो सेवाएं पहुंचाने के लिए मेरी सरकार ने जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों सहित, पूरे देश के 245 शहरों में 839 नए एफ एम रेडियो चैनलों की इलेक्ट्रॉनिक नीलामी (e-auction) करने का महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया है।

48. हथकरघा बुनकरों के कल्याण को और सुनिश्चित करने के लिए, मेरी सरकार ने हाल ही में 3884 करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है ताकि हथकरघा बुनकरों और उनकी समितियों के ऋण को माफ किया जा सके। इसके अलावा, बुनकरों को सस्ते कर्ज और अनुदानित सूत देने के लिए 2362 करोड़ रुपए के व्यापक पैकेज की भी घोषणा की गई है।

49. कपड़ा उद्योग में निवेश के लिए मेरी सरकार ने पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम का अनुमोदन किया है और 11वीं योजना में निवेश की राशि लगभग दुगुनी अर्थात् 8 हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15 हजार करोड़ रुपए कर दी गई है।

50. मुद्रास्फीति, विशेषकर खाद्य वस्तुओं में, भारत सहित विश्व के अनेक देशों के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। दुनिया भर में वस्तुओं, औद्योगिक सामग्री और ईंधन की कीमतें बढ़ने से भी मुद्रास्फीति बढ़ी है। सरकार ने आपूर्ति संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए कई कदम उठाए हैं : जैसे आयात शुल्क में कटौती और निर्यात पर सुविचारित रोक। ईंधन पर अंतरराष्ट्रीय कीमतों के भारी दबाव को कम करने के लिए कच्चे तेल पर सीमा शुल्क और पेट्रोल तथा डीजल पर आयात शुल्क घटा दिए गए हैं।

51. रिजर्व बैंक की मजबूत नीतिगत कार्रवाई और सरकार के प्रभावी उपायों के नतीजे अच्छे रहे हैं। प्रमुख खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति में तेजी से गिरावट आई, जिससे आम आदमी को राहत मिली है। सामान्य मुद्रास्फीति में भी कमी आई है।

52. भारत में विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं—विदेशी वाणिज्यिक ऋणों से संबंधित नियमों का उदारीकरण, विदेशी संस्थागत निवेशकों की उधार देने की सीमा में बढ़ोत्तरी और पात्र विदेशी निवेशकों से म्युचुअल फंड्स में निवेश और इक्विटी आकर्षित करने की योजनाएं।

53. सरकार ने वित्तीय क्षेत्र से संबंधित कानून, नियम व विनियम पुन: तैयार करने व उन्हें सुसंगत बनाने के कार्य को सुगम बनाने के लिए वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग गठित किया है जिससे वित्तीय क्षेत्र की सामयिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा।

54. भारत में करदाता सेवाओं में सुधार करने, पारदर्शिता, जवाबदेही तथा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर प्रशासन में दक्षता लाने के लिए मेरी सरकार ने ई-गवर्नेन्स संबंधी कई उपाय किए हैं। आयकर रिटर्न की ई-फाइलिंग, करों के ई-पेमेंट, करदाता के बैंक खाते में सीधे ही इलेक्ट्रॉनिक रिफंड हेतु ईसीएस सुविधाएं और टीडीएस रिटर्न की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की सुविधा अब समूचे देश में उपलब्ध है। पेपर आयकर रिटर्न सहित करदाताओं के सभी आवेदनों के कंप्यूटरीकृत पंजीकरण के लिए आयकर सेवा केन्द्र नामक एकल खिड़की व्यवस्था शुरू की गई है।

55. वर्ष 2011 में भारत का वाणिज्य वस्तु निर्यात 298 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया, जो वर्ष 2010 की तुलना में 34 फीसदी अधिक है। मेरी सरकार ने वर्ष 2013-14 तक निर्यात को दुगुना करने अर्थात् 500 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने की कार्य-योजना तैयार की है। जापान, मलेशिया, कोरिया गणराज्य के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी करार और आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार-करार किए गए हैं। यूरोपीय संघ सहित कई अन्य देशों के साथ वार्ता चल रही है।

56. वित्तीय समावेश योजना के तहत देश में लगभग 73 हजार ऐसे रिहायशी इलाकों की पहचान की गई है, जिनकी आबादी 2000 से ज्यादा है। इन इलाकों में बैंकों अथवा प्रौद्योगिकी आधारित बैंकिंग व्यवस्था के जरिए बैंकिंग सेवाएं पहुंचाई जानी हैं। इस योजना के तहत नवम्बर, 2011 तक 49 हजार गांव आच्छादित किए जा

चुके थे। स्व-सहायता समूहों, विशेषकर, महिलाओं द्वारा संचालित समूहों को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं, ताकि इनमें गैर-सरकारी संगठनों को भी भागीदार बनाया जा सके।

57. मेरी सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के लिए जरूरत के अनुसार इनको पूंजी उपलब्ध कराएगी। साथ ही 40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में पूंजी विस्तार की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

58. मेरी सरकार भारतीय विद्युत उपस्कर उद्योग के लिए मिशन योजना 2012-2022 तैयार कर रही है। इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाईल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विद्युत संचरण बोर्ड (National Board of Electric Mobility) और राष्ट्रीय विद्युत संचरण परिषद (National Council of Electric Mobility)का गठन किया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूंजीगत उद्योगों को बढ़ावा देने की योजना भी शुरू की जाएगी। विदेशों में कच्चे माल की परिसंपत्तियों को अर्जित करने की नीति बनाई गयी है।

59. मेरी सरकार ने एक राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य इसी दशक में जी डी पी में विनिर्माण के हिस्से को 25 फीसदी तक बढ़ाना और रोजगार के 10 करोड़ नए अवसर पैदा करना है। सरकार विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण ज़ोन बनाएगी।

60. दादरी से लेकर नवी मुंबई के बीच वेस्टर्न डेडिकेटिड रेल फ्रेट कॉरिडोर के समानांतर आयकॉनिक (Iconic) दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है, जिसमें महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है। मेरी सरकार ने, मुख्य मार्ग परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पांच वर्षों के दौरान डीएमआईसी को 17,500 करोड़ रुपए तथा परियोजना विकास कार्यों के लिए 1000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का निर्णय किया है।

61. सरकार ने हाल ही में सूक्ष्म और लघु उपक्रमों द्वारा उत्पादित माल और सेवाओं के लिए ऐसी सार्वजनिक खरीद नीति अनुमोदित की है, जिसमें अनुसूचित

जाति और अनुसूचित जनजातियों के स्वामित्व वाले उपक्रमों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है।

62. देश में सुदृढ़ प्रतिस्पर्धा संस्कृति विकसित करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। संशोधित कंपनी विधेयक संसद में प्रस्तुत कर दिया गया है।

63. मेरी सरकार पर्याप्त एवं गुणात्मक ढांचागत विकास को उच्च प्राथमिकता देती है जिससे भारत वहनीय एवं समावेशी आर्थिक विकास कर सके और भारत, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आए। ढांचागत विकास के लिए संसाधन जुटाने जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए, मेरी सरकार ने कई पहल की हैं, जैसे पेंशन और बीमा फंड को पूरा करने के लिए अवसरंचना ऋण फंड की स्थापना करने संबंधी विनियम पहली बार जारी किए गए हैं। अवसरंचना की एक समान परिभाषा तय की जा रही है।

64. ढांचागत निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, ''वायबिलिटी गैप फंडिंग (Viability Gap Funding)'' स्कीम के अंतर्गत, सरकार ने ढांचागत निर्माण में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अतिरिक्त उप-क्षेत्रों को भी शामिल किया है। इसमें कोल्ड चेन एवं फसल उत्पाद भंडारण सहित आधुनिक भंडारण क्षमता निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के लिए पूंजी निवेश शामिल है।

65. देश की आधारभूत संरचना में हमें और अधिक विस्तार और सुधार करने की जरूरत है। मेरी सरकार बंदरगाहों की क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रही है और उन्हें रेल मार्गों तथा सड़कों से जोड़ा जा रहा है। देश में, खासकर उत्तर-पूर्वी इलाकों में, अंतर्देशीय जल परिवहन की अतिरिक्त परियोजनाओं की संभावनाएं तलाश की जा रही हैं।

66. रेलवे के आधुनिकीकरण का व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। पूर्वी व पश्चिमी डेडिकेटिड फ्रेट कॉरीडोर, जिनका कार्य पहले से ही प्रगति पर है, के

अतिरिक्त माल और यात्रियों के लिए रेल मार्ग अलग-अलग करने के लिए और अधिक डेडिकेटिड फ्रेट कॉरीडोर निर्मित किए जाएंगे।

67. मेरी सरकार सड़कों के विकास को प्राथमिकता दे रही है। इस वर्ष कम से कम 7000 किलोमीटर सड़क निर्माण परियोजनाओं के ठेके दिए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक खरीद (e-procurement) और इलेक्ट्रॉनिक-निविदा (e-tendering) की नीति अपनाकर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं।

68. विमान यात्रियों के हितों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। सुरक्षित और वाजिब दाम पर विमान सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए इस वर्ष संसद में नागर विमानन प्राधिकरण के लिए विधेयक लाया जाएगा। विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो का गठन किया जाएगा जो स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा। हवाई यातायात प्रबंधन सेवाओं और हवाई अड्डों का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण किया जाएगा।

69. मेरी सरकार देश में तेल और गैस का उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी उपाय कर रही है। नई अन्वेषण लाईसेंसिंग नीति का नौवां चरण शुरू हो चुका है। हर साल 6 मिलियन मीट्रिक टन तेल के शोधन की क्षमता वाली भारत-ओमान रिफाइनरी लिमिटेड जून, 2011 में शुरू की जा चुकी है। यह कंपनी भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा ओमान ऑयल कंपनी का संयुक्त उद्यम है।

70. मेरी सरकार, देश में सभी लोगों को जोड़ने (Connect) का कार्य कर रही है। इस समय देश में प्रति 100 व्यक्ति 76 टेलीफोन कनेक्शन हैं। मेरी सरकार दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स की नई नीतियां बना रही है। देश की सभी पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने वाले राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का निर्माण किया जा रहा है। इस पर 20 हजार करोड़ रुपए की लागत आएगी। आईटी हार्डवेयर के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए समुचित उपाय किए जा रहे हैं।

71. हमारी अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ-साथ हमारी ऊर्जा आवश्यकता भी एक दशक में दुगुनी हो जाने की संभावना है। विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में, हमारी बड़ी

उपलब्धियां रही हैं। जहां 10वीं योजना अवधि में, 21 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़ी गई, वहीं 11वीं योजना में लगभग 52000 मेगावाट क्षमता जोड़े जाने की संभावना है। संभावना है कि केवल 2011-12 में ही हम 15000 मेगावाट रिकार्ड क्षमता की वृद्धि हासिल कर सकेंगे।

72. पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम के तहत, 1400 अभिनिर्धारित नगरों के लिए लगभग 30 हजार करोड़ रुपए वाली परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। अन्य क्षेत्रों में वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने के लिए, मेरी सरकार ने राष्ट्रीय विद्युत फंड स्थापित करने का अनुमोदन किया है, जिससे राज्य विद्युत कंपनियों को संवितरित ऋणों पर ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। इस फंड का लक्ष्य अगले दो वर्षों में लगभग 25 हजार करोड़ रुपए का निवेश जुटाना है। मेरी सरकार ने विद्युत उत्पादन के लिए ईंधन की आपूर्ति सुकर बनाने के लिए कदम उठाए हैं।

73. हमें अपनी ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की जरूरत है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के तहत मौजूदा वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक 400 मेगावाट क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं को शुरू करने की योजना है। मिशन के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य सौर ऊर्जा के उत्पादन की लागत को ग्रिड विद्युत लागत के नजदीक लाना है। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी है कि जब दो वर्ष पहले यह मिशन शुरू किया गया था, तब के मुकाबले हाल की टैरिफ बोलियां 50 प्रतिशत कम हैं।

74. देश में न्यूक्लियर संयंत्रों की संस्थापित क्षमता बढ़कर 4780 मेगावाट हो गई है और बारहवीं योजना के अंत तक इसके 10,080 मेगावाट होने की संभावना है। मेरी सरकार, न्यूक्लियर ऊर्जा के उपयोग में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और न्यूक्लियर ऊर्जा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में समाज के किसी भी वर्ग की सुरक्षा और उनकी आजीविका अर्जन से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फुकुशिमा, जापान में मार्च, 2011 में हुई दुर्घटना के बाद, मेरी सरकार ने देश में लगे सभी न्यूक्लियर ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा प्रणालियों की तकनीकी समीक्षा करने के आदेश दिए। इनकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया और सुरक्षा बढ़ाने के संबंध में

की गई सिफारिशों को लागू किया जा रहा है। नाभिकीय सुरक्षा विनियामक प्राधिकरण विधेयक संसद में पेश कर दिया गया है।

75. मेरी सरकार ने संसद के पिछले सत्र में खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य ऐसी कानूनी व्यवस्था उपलब्ध करवाना है, जिससे निवेश में तेजी आए, खनन क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकी समाविष्ट हो सके और खनन कार्य से प्राप्त राशि का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास और पर्यावरण संतुलन कायम रखने के लिए सुनिश्चित हो सके।

76. दिसम्बर, 2011 में अंतरराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पर डरबन में हुई शिखर वार्ता में भारत ने सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में रचनात्मक और अग्रणी भूमिका निभाई है। आगे भी हम, अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर इस काम को जारी रखेंगे।

77. अपने पर्यावरण और जैव-विविधता के संरक्षण को मेरी सरकार सर्वाधिक महत्त्व देती है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा गंगा नदी की सफाई करने के लिए किए गए समग्र प्रयासों को मजबूती प्रदान कर रहा है। प्रदूषण कम करने के लिए प्राधिकरण द्वारा पिछले तीन वर्षों में लगभग 2600 करोड़ रुपए के कार्यों की स्वीकृति दी जा चुकी है।

78. मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि जैव-विविधता पर संयुक्त राष्ट्र संघ कन्वेन्शन के सदस्य राष्ट्रों के 11वें सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है। यह सम्मेलन अक्तूबर, 2012 में हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। मेरी सरकार का प्रयास रहेगा कि इस सम्मेलन में उपयोग एवं लाभ-सहभागिता जैसी पहल के प्रभावी कार्यान्वयन पर वैश्विक सहमति बने और इस दिशा में अग्रगामी कार्रवाई हो। इससे संसाधनों के संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को भी बढ़ावा मिलेगा।

79. मेरी सरकार ने 11वीं योजना अवधि के दौरान 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की केंद्रीय सहायता प्रदान करके प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम को संशोधित तथा सुदृढ़ किया है। देश से विलुप्त चीतों का पुन: प्रवेश कराने के लिए एक विशेष कार्यक्रम भी बनाया

गया है।

80. वन-विस्तार और एक करोड़ हेक्टेयर वन भूमि को हरा-भरा बनाने के लिए जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत राष्ट्रीय हरित भारत (ग्रीन इंडिया) मिशन बनाया गया है।

81. दुनिया के देशों में भारत का उचित स्थान, वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता के जरिए सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। मेरी सरकार का सतत् प्रयास रहेगा कि अनुसंधान और विकास पर खर्च जीडीपी के 1 फीसदी से बढ़ाकर 2 फीसदी हो जाए। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान अनुसंधान और विकास में सार्वजनिक निवेश प्रतिवर्ष 20 से 25 फीसदी की दर से बढ़ा है। सरकार ने ''इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इन्स्पायर्ड रिसर्च'' अर्थात् 'इन्स्पायर' स्कीम सफलतापूर्वक शुरू की है और इसके तहत अब तक विज्ञान विषय के 5 लाख से अधिक छात्रों को पुरस्कार दिए जा चुके हैं।

82. विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार (Innovation) को सुसाध्य करने के लिए कई नए संस्थागत प्रयास किए गए हैं। छोटे और मझोले उपक्रमों की मदद हेतु जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास को सुगम बनाने के लिए जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद नामक एक लाभनिरपेक्ष कम्पनी का गठन किया जा रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित राष्ट्रीय महत्त्व के सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विज्ञान नीति कार्यान्वयन एवं अनुसंधान अकादमी अर्थात् 'एस्पायर' (Aspire) बनाई गई है। वैज्ञानिक एवं नवाचार अनुसंधान अकादमी भी स्थापित की गई है।

83. मेरी सरकार ने मानसून मिशन कार्यक्रम शुरू किया है जिससे किसानों की मदद हेतु मानसून की भविष्यवाणी को और बेहतर करने में योगदान मिलेगा। अगली पंचवर्षीय योजना अवधि में कृषि-मौसम विज्ञान सेवाएं 10 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी किसानों तक पहुंचाई जाएंगी। एकीकृत समुद्री सूचना परामर्श सेवाएं हमारे देश के 90 फीसदी तटीय मछुआरों तक पहुंचाई जाएंगी।

84. राष्ट्रीय हित में मेरी सरकार ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया। आठ उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में छोड़े गए। संचार उपग्रह जीसैट-8 को कक्षा में स्थापित किया गया। वर्ष 2012 में कई बड़े उपग्रहों के प्रक्षेपणों की योजना है जिनमें हर तरह के मौसम में इमेजिंग क्षमता वाला भारत का पहला माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह और पहला नेविगेशनल उपग्रह भी शामिल है। हमारा प्रस्ताव वर्ष 2012 में, स्वदेशी क्रायोजनिक अपर स्टेज का प्रयोग करके, जीयोसिंक्रॉनस सैटेलाइट लांच व्हीकल का अगला प्रक्षेपण करने का है।

85. कार्य कौशल, अनुशासन और कर्त्तव्यनिष्ठा हमारे सशस्त्र बलों की पहचान है। भारत सरकार हमारे सभी सैनिकों और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

86. सेना के तीनों अंगों को आधुनिक और विकसित बनाने के लिए सक्रिय उपाय किए जा रहे हैं जिससे वह तटीय सुरक्षा सहित, सुरक्षा संबंधी समस्त भावी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हों। हमारा ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमताएं बढ़ाई जाएं और साथ ही हथियारों और उनकी प्रचालन प्रणाली (डिलीवरी सिस्टम) के मामले में हम आत्मनिर्भर बनें। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में हमारी सेना, दुनिया की तकनीकी रूप से सबसे उन्नत सेनाओं में से एक हो। अग्नि-4 मिसाइल का प्रक्षेपण और प्रस्तावित हल्के लड़ाकू विमान—तेजस को भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाना, इस दिशा में प्रमुख माइल स्टोन्स (Mile Stones) हैं।

87. देश के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हमारी सीमाओं के साथ-साथ देश के आंतरिक क्षेत्रों की भी पूरी बहादुरी और बलिदान की भावना से सुरक्षा करते हैं। मेरी सरकार इन सुरक्षा बलों के लिए देश की पहली बृहत् स्वास्थ्य अवसंरचना परियोजना के रूप में चिकित्सा संस्थान एवं सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल बना रही है।

88. आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में मेरी सरकार ने वामपंथी अतिवाद से ग्रस्त इलाकों में विकास के लिए कई उपाय किए हैं। देश के अत्यधिक पिछड़े और हिंसा प्रभावित जिलों के गांवों में पिछले दो वर्षों में 3300 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली एकीकृत

कार्य-योजना द्वारा विकास कार्य हुआ है। यह कार्य-योजना अब तक 60 जिलों में लागू थी और अब इसका विस्तार 78 जिलों तक कर दिया गया है।

89. मेरी सरकार ने दिखाया है कि हिंसा को, दृढ़ लेकिन मानवीय तरीकों से रोका जा सकता है। पिछले वर्ष के दौरान उत्तर-पूर्वी राज्यों और जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति में काफी सुधार हुआ है। मेरी सरकार हमेशा ऐसे गुटों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार रहती है, जो हिंसा का रास्ता छोड़ने के लिए तैयार हों। यह उत्साहवर्धक है कि कई संगठन अपनी शिकायतों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए आगे आए हैं।

90. जम्मू-कश्मीर में एक बड़ी कामयाबी तब हासिल हुई जब वहां पर लम्बे अंतराल के बाद पंचायत चुनाव कराए गए। इन चुनावों को जनता का भारी समर्थन मिला और 80 फीसदी से ज्यादा मतदाताओं ने वोट डाले। वर्ष 2011 में एक करोड़ से ज्यादा तीर्थ-यात्रियों ने माता वैष्णो देवी के 'दर्शन' किए। जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिए ''उड़ान'' नामक विशेष उद्योग प्रोत्साहन स्कीम और ''हिमायत'' नामक कौशल विकास एवं रोजगार स्कीम शुरू की गई है। अगले पांच वर्षों के दौरान जहां ''उड़ान'' स्कीम के तहत 40 हजार युवाओं के कौशल-विकास का लक्ष्य रखा गया है, वहीं ''हिमायत'' स्कीम के अंतर्गत एक लाख युवाओं को लाया जाएगा, जिस पर कुल 235 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एक हजार से अधिक प्रशिक्षुओं को विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियां दी जा चुकी हैं।

91. 13 जुलाई 2011 को मुंबई में और 7 सितम्बर, 2011 को दिल्ली में हुए बम धमाके इस बात की गम्भीर चेतावनी देते हैं कि देश में आतंकवादी समूह (Modules) अभी भी सक्रिय हैं। वर्ष 2011 में 18 आतंकी समूहों को निष्क्रिय कर दिया गया। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (National Intelligence Grid) और नेशनल काउंटर टैररिज्म सेंटर (National Counter Terrorism Centre) का लक्ष्य आंतरिक सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए भारत की क्षमता में वृद्धि करना है।

92. मेरी सरकार ने गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन की स्थापना के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करके उस क्षेत्र के लोगों की लम्बे समय से चली आ रही मांग

का सम्मान किया है। असम में यूनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक सोलिडेरिटी के साथ भी त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उत्तर-पूर्व में केंद्र सरकार की परियोजनाओं के लिए निधि की आवश्यकताओं की कमी को पूरा करने के लिए संसाधनों का स्थायी केंद्रीय पूल बनाया गया है।

93. विदेशी मामलों के क्षेत्र में मेरी सरकार ने हमारे निकटवर्ती पड़ोसी एवं अन्य देशों के साथ शांति और सहयोग बढ़ाने की नीति पर अनुसरण किया है ताकि हम सामाजिक-आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। मेरी सरकार दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) की सफलता के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। हमारी इच्छा है कि दक्षिण-एशिया के सभी राष्ट्र समृद्ध हों, वहां स्थिरता हो और वे क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग, व्यापार और मूलभूत अवसरंचना को विकसित करते हुए अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सकें।

94. प्रधान मंत्री की अफगानिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव की यात्राओं से तथा म्यांमार के राष्ट्रपति, भूटान नरेश, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति और नेपाल के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा से इस प्रक्रिया को काफी बल मिला है।

95. भारत और बांग्लादेश के बीच हुए भू-सीमा करार संबंधी प्रोटोकॉल से लंबे समय से लंबित मुद्दों के समाधान और परस्पर लाभकारी द्विपक्षीय सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मेरी सरकार ने श्रीलंका में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के पुन:स्थापन और पुनर्वास के लिए भी कदम उठाए हैं।

96. हम पाकिस्तान के साथ लंबित सभी मामलों का हल बातचीत के जरिए करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान के लिए आवश्यक है कि वह अपनी जमीन पर आतंकवादी गुटों और उनसे संबंधित ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे, अब तक हुई प्रगति को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे।

97. भारत की ''पूर्व की ओर देखो'' (लुक ईस्ट) की नीति के परिणामस्वरूप पूर्वी एशिया और दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों के साथ हमारे संबंध और घनिष्ठ हुए हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह में थाइलैंड की

प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि रहीं। दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्रसंघ (आसियान) के साथ स्मारक शिखर वार्ता की मेजबानी भारत पहली बार करेगा जो उनके साथ हमारे परस्पर संवाद के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर, इस वर्ष दिसंबर में आयोजित की जाएगी।

98. पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीकी देशों में शांति, स्थिरता और प्रगति में भारत की विशेष अभिरुचि है। खाड़ी क्षेत्र में 60 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र के लोग बदलाव और परिवर्तन के इस ऐतिहासिक दौर में राष्ट्र निर्माण और विकास के लिए अपने मार्ग स्वयं तलाशें। फिलिस्तीन के मुद्दे पर हम पूर्ववत् समर्थन देते रहेंगे।

99. पिछले साल अफ्रीका में पहली बार आयोजित दूसरे अफ्रीकी-भारत शिखर सम्मेलन के फलस्वरूप अफ्रीका के साथ हमारे पारंपरिक रिश्तों को और नया बल मिला है। अफ्रीकी महाद्वीप के 54 में से 47 देशों में हमारी महत्वाकांक्षी पैन अफ्रीकन ई-नेटवर्क परियोजना प्रारंभ की गई है।

100. स्लोवेनिया के राष्ट्र प्रमुख की भारत यात्रा, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैण्ड की मेरी यात्राएं और उप राष्ट्रपति की तुर्की यात्रा से मध्य यूरोप के साथ हमारे राजनीतिक संबंध मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री की कज़ाकिस्तान यात्रा और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा से मध्य एशिया के साथ हमारे संबंधों को नया आयाम मिला है।

101. दुनिया की महाशक्तियों के साथ हमारी भागीदारी बढ़ रही है। अमरीका हमारा एक अहम स्ट्रैटेजिक भागीदार है जिसके साथ हमारे बहुआयामी संबंध हैं जो हमारे राष्ट्रीय हितों पर आधारित हैं। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री की रूस यात्रा से भारत की रूस के साथ विशेष और तरजीह प्राप्त स्ट्रैटेजिक भागीदारी और अधिक मजबूत हुई है। हम चीन के साथ अपनी स्ट्रैटेजिक और सहयोगी भागीदारी बढ़ाने को उच्च प्राथमिकता देते हैं। चीन के साथ हमारे व्यापार और आर्थिक रिश्तों में हो रहे द्रुत विकास का महत्त्व न केवल हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए है, बल्कि समूची वैश्विक

अर्थव्यवस्था के लिए भी है। यूरोपीय संघ और उसके सदस्य देशों के साथ भारत के संबंध, साझा मूल्यों और बढ़ते वाणिज्यिक, आर्थिक और जनता के परस्पर संबंधों पर आधारित हैं। जापान के साथ भारत के संबंध आर्थिक क्षेत्र के साथ-साथ सुरक्षा क्षेत्रों में भी बढ़ते जा रहे हैं, जो दोनों देशों की प्रबल राजनीतिक इच्छा-शक्ति पर आधारित हैं।

102. भारत ने जी-20, ब्रिक्स और इब्सा प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका निभाई। हम निकट भविष्य में भारत में अगली ब्रिक्स शिखर वार्ता की मेजबानी करने के लिए उत्सुक हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में हम अंतरराष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखण्डता के सुस्थापित सिद्धांतों का सम्मान करते हुए अन्य देशों के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना चाहते हैं।

103. मेरी सरकार ने मिशन के रूप में बनाई गई ''पासपोर्ट सेवा परियोजना'' के जरिए पासपोर्ट जारी करने की व्यवस्था में आमूल सुधार करने का काम शुरू कर दिया है और आशा है कि यह मौजूदा वर्ष में पूर्ण रूप से कार्यान्वित कर दी जाएगी। इमीग्रेशन, वीजा और विदेशी रजिस्ट्रेशन तथा ट्रैकिंग स्कीम के अंतर्गत एकीकृत ऑन-लाइन वीजा एप्लीकेशन सिस्टम पर कार्य किया जा रहा है।

104. प्रवासी भारतीय समुदाय, भारतीय सभ्यता और सांस्कृतिक परंपरा का एक जीवंत तत्त्व है। मेरी सरकार ने लीबिया के बिगड़ते हालात को देखते हुए वहां से 16 हजार से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए पिछले वर्ष ''ऑपरेशन सेफ होमकमिंग'' चलाया। हमने मिस्र और यमन में अशांति के फलस्वरूप वहां से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने की व्यवस्था भी की। नागरिकता अधिनियम में संशोधन करके भारतीय मूल के लोग और प्रवासी भारतीय नागरिक स्कीमों को सरलीकृत व आमेलित करने के लिए संसद में विधेयक पेश किया गया है।

105. माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार त्वरित विकास व आधुनिकीकरण का नया मार्ग दर्शा रही है जो इस धारणा पर आधारित है कि एक समृद्ध समाज का निर्माण

मानवता, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों के आधार पर किया जा सकता है, जिसका सपना हमारे राष्ट्र-निर्माताओं ने देखा था। हम समाज की ऐसी नई तस्वीर पेश कर रहे हैं जिसमें सुविधावंचित लाखों लोगों को आजीविका मिल सके और हमारे युवा वर्ग की बेहतर जीवन जीने की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके; एक ऐसा समाज—जहां बड़ी विकास परियोजनाओं से पारिस्थितिकी और पर्यावरण की सुरक्षा प्रभावित न होती हो; एक ऐसा समाज जो उदार, लोकतांत्रिक और पारदर्शी हो परंतु जहां राष्ट्रीय सुरक्षा को हमेशा सर्वोपरि रखा जाता हो।

106. माननीय सदस्यगण, संसद के पास एक लंबी कार्यसूची है। मैं आशा करती हूं कि दोनों सदनों के समक्ष जो कार्य हैं उन्हें पूरा करने के लिए आप सभी रचनात्मक सहयोग की भावना से मिलकर कार्य करेंगे। सभी जन-आकांक्षाओं को पूरा करने के आपके कार्य में मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।

जय हिंद।